छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

क्रमांक एफ 20–87/2012/11/(6) नया रायपुर दिनांक 25 सितंबर, 2017

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.12.2012 द्वारा जारी " **कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2012** " में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु विशेष पैकेज के क्रियान्वयन हेतु राज्य की **"कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012"** में कंडिका **"9 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को निवेश प्रोत्साहन"** में कंडिका 9.5 के पश्चात कंडिका 9.6 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

9.6 राज्य के किसी ग्राम में रू. 25 हजार से रू. 25 लाख तक की प्लांट एवं मशीनरी में निवेश वाले फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के परिशिष्ट – 2 में वर्णित पैकेज की पात्रतानुसार सुविधायें, छूट एवं अनुदान दिया जायेगा।

(दो) राज्य की **"कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012"** में कंडिका 9, **"कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन"** में कंडिका 9.7 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

9.7 – राज्य के किसी संभाग में रू. 500 करोड़ अथवा अधिक स्थायी लागत वाली प्रथम खाद्य प्रसंस्करण इकाई को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के परिशिष्ट–तीन अनुसार वर्णित सुविधायें, छूट एवं अनुदान पात्रतानुसार दिया जायेगा।

(तीन) उक्त परिशिष्ट–दो एवं परिशिष्ट–तीन निम्नानुसार है :–

परिशिष्ट – दो

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु विशेष पैकेज

1. यह विशेष पैकेज, छ.ग. राज्य के ग्रामों (जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 के अनुसार) में स्थापित होने वाले (चाहे वह औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्रों से पिछड़े क्षेत्रों में हो, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट 7 एवं 8 में परिभाषित है) केवल फल एवं सब्जी परिरक्षण/प्रसंस्करण करने वाले नवीन उद्योगों जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में रू. 25 हजार से 25 लाख तक पूंजी निवेश हो के लिये —

प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012/छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार मिलेगा।

2. यह विशेष पैकेज कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 की अवधि अर्थात 31–10–2019 तक लागू होगा।

3. इस विशेष पैकेज का लाभ लेने हेतु उद्यमी को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के अंतर्गत जारी अन्य नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

4. इस पैकेज में वर्णित अनुदान एवं सुविधाओं का लाभ इनके लिये पूर्व में जारी अधिसूचनाओं एवं प्रक्रिया के अनुसार ही होगा तथा आवश्यक होने पर परिभाषांए/नियम जारी किये जायेंगे।

5. इस पैकेज में उल्लेखित अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त उद्यमी को औद्योगिक नीति 2014–19, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में वर्णित अन्य अनुदान एवं छूट हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार (उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक) प्राप्त होंगे।

6. **फल एवं सब्जी प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों हेतु पैकेज की सुविधायें एवं अनुदान**

(i)– **ब्याज अनुदान :–**

पात्र उद्योगों को सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा :–

अ)– सामान्य वर्ग के लिए–

क	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 05 लाख वार्षिक।

ब)– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए–

क	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	10 वर्ष तक सावधि ऋण पर कुल भुगतान किए गए ब्याज का 70% अधिकतम सीमा 10 लाख वार्षिक।

(ii)– **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–**

पात्र उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जायेगा–

अ)– सामान्य वर्ग के लिए–

क	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	रू. 25 हजार से – 10 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा 05 लाख
	रू. 10 लाख से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 50% अधिकतम सीमा 12.5 लाख

ब)– अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए–

क	पूंजी निवेश स्लैब	फल/सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुदान
1	रू. 25 हजार से – 25 लाख तक	स्थाई पूंजी निवेश का 60% अधिकतम सीमा 15 लाख

(iii)– **विद्युत शुल्क छूट :–**

राज्य की नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी संवर्ग के नवीन पात्रताधारित उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से स्वयं की बिजली की खपत की गई यूनिटों पर 10 वर्ष तक देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

(iv)– **भूमि उपयोग में परिवर्तन–**

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू–उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 15 हजार फुट भूमि (परिवार में केवल एक खातेदार के लिए), भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी ।

टीप– उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुदान, छूट एवं रियायतों के तहत् स्टॉम्प शुल्क में छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को के भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान व प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान तथा निशक्त अनुदान पात्रता अनुसार प्राप्त होंगे।

परिशिष्ट – तीन

प्रदेश के किसी संभाग में रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना के लिये विशेष पैकेज

(1) इस पैकेज का लाभ लेने के लिये औद्योगिक नीति 2014–19 तथा राज्य की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।

(2) इस पैकेज का लाभ लेने पर संबंधित परियोजना को भारत सरकार एवं राज्य शासन के किसी अन्य विभाग से समान सुविधा तथा समान प्रकृति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(3) इस पैकेज के तहत पात्र संस्थान को इस पैकेज के अनुसार ही अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो।

(4) स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु प्रथम प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के दिनांक से 36 माह की अवधि के भीतर परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्टांप शुल्क से छूट प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में स्टांप शुल्क में छूट से प्राप्त लाभ की राशि निवेशक द्वारा स्टांप शुल्क से छूट प्रमाण–पत्र हेतु जारी नियमानुसार ब्याज के साथ शासन को देय होगी।

(5) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012, वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 तक लागू है; इस विशेष पैकेज का लाभ लेने हेतु 31 अक्टूबर 2019 तक पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी।

(6) वर्तमान में प्रभावी औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत है। इस पैकेज हेतु कोई वर्गीकरण नहीं होगा।

(7) रू. 500 करोड़ से अधिक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में प्रारंभ होने वाले उत्पादों के इस विशेष पैकेज पर औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट दो – "संतृप्त श्रेणी के उद्योगो की सूची (अपात्र उद्योगों की सूची)" तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के परिशिष्ट एक – "अपात्र उद्योगों की सूची" प्रभावशील रहेगी किन्तु संतृप्त श्रेणी (अपात्र उद्योग) का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद मे किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(8) इस विशेष पैकेज का लाभ संबंधित परियोजनाओं को देने के लिये पैकेज से

जायेगी, नियम बनाये जायेंगे तथा संगत कानूनों के अन्तर्गत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे एवं आवश्यक होने पर परिभाषाएं भी जारी की जावेगी।

(9) इस पैकेज में निम्नांकित छूट एवं अनुदान पात्रतानुसार दिये जायेंगे :–

1 लैण्ड बैक में भूमि आबंटित किये जाने पर प्रब्याजि में 75 प्रतिशत् की छूट दी जावेगी, लीज रेंट तथा अन्य देय शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इसके लिये प्रब्याजि की गणना सांकेतिक रूप से की जायेगी।

2 भूमि आबंटन पर स्टाम्प ड्यूटी से 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। यह छूट प्रथम स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 36 माह में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर मान्य होगी।

3 परियोजना के लिये बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण पर प्रथम 3 वर्षों के लिए स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

4 औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज देय होगा।

5 स्थायी पूंजी निवेश की राज्य शासन को देय GST के रूप में प्रतिपूर्ति के संदर्भ में पृथक से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

6 परियोजना हेतु, अधिसूचित बैकों से, लिये जाने वाले सावधि ऋण (परियोजना के लिये आवश्यक स्थायी पूंजी निवेश का 80 प्रतिशत सीमा तक) पर 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत ब्याज (कुल स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत की सीमा तक) की प्रतिपूर्ति।

7 पात्रताधारित सभी संवर्ग के उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 15 वर्ष तक स्वयं खपत की गई बिजली की यूनिटों पर देय विद्युत शुल्क भुगतान से 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। लेकिन संस्थान द्वारा विद्युत शुल्क में छूट हेतु उद्योग संचालनालय से अनुशंसित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 06 माह की समय–सीमा में प्रस्तुत करना होगा।

8 प्रदेश के किसी संभाग में रू. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाली प्रथम खाद्य, फल, सब्जी एवं गैर काष्ठीय वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण परियोजना को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण (100 प्रतिशत) छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी।

9 परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 3 वर्ष तक भूमि भवन, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति में होने वाले निवेश को स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत मान्य किया जायेगा ।

10 परियोजना में संलग्न छत्तीसगढ़ के स्थानीय तकनीकी एवं कुशल कामगारों के कौशल विकास हेतु, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 500 कामगारों के प्रथम 12 माह के देय ईपीएफ बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रुप में निवेशक को प्रत्येक माह दी जायेगी।

11 उपरोक्त विशेष पैकेज के साथ–साथ परियोजना को औद्योगिक नीति 2014–19 कृषि एवं खाद्य ...

हेतु अधिसूचित नियमों में उल्लेखित पात्रता अनुसार, **समान स्वरूप** का अनुदान होने की दशा में उद्यमी द्वारा चयनित कोई भी एक ही अनुदान, भी प्राप्त होंगे।

(चार) उक्त दोनों प्रस्तावित पैकेज के संदर्भ में नियम निर्देश जारी करने तथा आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अधिकार होगा।

ये संशोधन अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ 22–87/2012/11/6 **नया रायपुर दिनांक** सितंबर 2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व विभाग/वन/वित्त/वाणिज्यिक कर/वाणिज्यिक कर(पंजीयन), मंत्रालय
4. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय रायपुर छ.ग.
5. प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर, छ.ग.
6. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....
7. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगावं

कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने तथा 250 प्रतिया विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग